

नागरिक / संस्था यांचे खाजगी मिळकतीमधील धोकादायक १ ते २५ आतील वृक्ष पूर्ण काढणे / पुनरोपण करण्याबाबतचे निर्देशपत्र (डॉक्यूमेंट)(zone - ३)

ऑगस्ट २०२५

वारजे कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालय

अ. क्र.	आवक क्र. व दिनांक	अर्जदाराचे नाव व पत्ता	बाधित वृक्षाचे नाव	म. वे. (मी.)	उंची (मी.)	वय वर्ष (अंदाजे)	खात्याची शिफारस	तज्ञांची शिफारस	पूर्ण वृक्ष काढणे संख्या	पुनरोपण करणे संख्या	नकार कळवण्यात आलेली संख्या	नवीन वृक्ष लागवड संख्या	अनामत रक्कम
१)	२०६५ १४/५/२५	श्री. ललित बेंद्रे कार्यकारी अभियंता पथ विभाग, कर्वेनगर येथील आंबेडकर चौक ते तिरुपति नगर दरम्यानचा ३० मी. डी. पी. रास्ता, पुणे	१) पिंपळ (वृ. क्र. १) २) बदाम (वृ. क्र. २) ३) स्पॅथोडिया (वृ. क्र. ३)	२.३५ ०.९० १.३०	१० ९ १०	४८ २९ ३५	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता वृक्ष क्र. १ ते ३ चे वृक्ष रस्ता रुंदीकरणाच्या कामात अडथळा ठरत असल्याने नियमाप्रमाणे सदर वृक्षांच्या वयानुसार नवीन ११२ वृक्ष लावणेच्या अटीवर वृक्ष क्र. १, २, ३ चे वृक्ष पुनरोपण करणेस परवानगी देणेस शिफारस आहे. (सदर प्रकरण मा. तज्ञ वृक्ष प्राधिकरण समिति यांच्या शिफारस साठी सादर.)	'अ' प्रमाणे खात्याची शिफारस मान्य बाधित वृक्षांच्या बदल्यात एकूण ११२ देशी प्रजातीची १० ते १२ फुट उंचीची रस्त्याच्या दुतर्फा प्रत्येकी ३ मी. अंतरावर लावावेत. वृक्ष लागवड प्रथम करावी व नंतर रस्ता रुंदीकरण करावे.	--	०३	--	११२	--
२)	२९ १४/४/२५	श्री. आर्कि. रोहित दसनूरकर, फा. प्लॉट नं. ३/३ वीणा अपार्टमेंट, एरंडवणा, पुणे	१) खबर (वृ. क्र. १) २) अशोक (वृ. क्र. २) ३) चेरी (वृ. क्र. ३) ४) आंबा (वृ. क्र. ४) ५) चेरी (वृ. क्र. ५)	३.५० ०.५० ०.३० ०.५० ०.५०	१२ ७ ५ ७ ७	६२ १५ १० १५ १५	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता वृक्ष क्र. २ व ३ चे वृक्ष बांधकामात कोणत्याही प्रकारचा अडथळा ठरत नसून	'अ' प्रमाणे खात्याची शिफारस मान्य. देशी वृक्षांची १० ते १२ फुट उंचीची एकूण १०७ वृक्ष त्याच	--	०४	०२	१०७	४०,०००/-

महापालिका सहायक, आयुक्त कार्यालय

वारजे कर्वेनगर, पुणे महानगरपालिका

जा. क्र. मसआ/व.क. / ५५९८

			६)चिक्क(वृ. क्र.६)	०.५०	८	१५	त्यास दिलिगीरी कळवणे तसेच वृक्ष क्र.१,४,५,६ चे वृक्ष बांधकाम खोदाई व गेटला अडथळा ठरत असल्याने नियमाप्रमाणे अनामत रक्कम स्वीकारून सदर वृक्षांच्या वयानुसार नवीन १०७ वृक्ष लावणेच्या अटीवर वृक्ष क्र. १,४,५,६ चे वृक्ष पुनरोपण करणेस परवानगी देणेस शिफारस आहे. (सदर प्रकरण मा. तज्ञ वृक्ष प्राधिकरण समिति यांच्या शिफारस साठी सादर.)	जागेत लावावेत.					
३)	५४४ १५/४/२५	कपिल बिल्डकॉन तर्फे श्री. कपिल दिलीप लघाटे, सि.टी.एस.नं.२/४१ स.नं.२६ ए/१, प्लॉट नं.४१, सहवास मोसायटी, कर्वेनगर, पुणे	१)नारळ(वृ. क्र.७) २)बकुळ(वृ. क्र.८) ३)अशोक(वृ. क्र.१७) ४)चाफा(वृ. क्र.१८)	०.१० ०.२५ ०.५० ०.६०	१२ ३ ११ १०	१८ ७ १५ १६	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता वृक्ष क्र. ७,८,१७,१८ चे वृक्ष गेटला अडथळा ठरत असल्याने नियमाप्रमाणे अनामत रक्कम स्वीकारून सदर वृक्षांच्या वयानुसार नवीन ५६ वृक्ष लावणे च्या अटीवर वृक्ष क्र.७ हा वृक्ष पूर्ण काढणेस व वृक्ष क्र.८,१७,१८ चे वृक्ष पुनरोपण करणेस परवानगी देणेस शिफारस आहे. (सदर	'अ'प्रमाणे खात्याची शिफारस मान्य. देशी वृक्षांची १० ते १२ फुट उंचीची एकूण ५६ वृक्ष त्याच जागेत लावावेत.	०१	०३	--	५६	४०,०००/-

४)	५४५ १५/४/२५	रानडे रिलेटर्स LLP तर्फे श्री. कैदार शशांक रानडे, सि.टी.एस.नं.१०८४ स.नं.१९/१ बि , प्लॉट नं. २६, स्वप्न मंदिर सोसायटी, एरंडवणा पुणे	१)बॉटल पाम(वृ. क्र.२) २)बॉटल पाम(वृ. क्र.३) ३)नारळ(वृ. क्र.६)	१.५० १.४० ०.९०	१० १० १२	३८ ३८ ३५	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता वृक्ष क्र. २, ३, ६ चे वृक्ष गेटला अडथळा ठरत असल्याने वृक्ष क्र. ६ हा वृक्ष तिरपा झाल्याने नियमाप्रमाणे अनामत रक्कम स्वीकारून सदर वृक्षांच्या वयानुसार नवीन १११ वृक्ष लावणे च्या अटीवर वृक्ष क्र. २, ३, ६ चे वृक्ष पूर्ण काढणेस परवानगी देणेस शिफारस आहे. (सदर प्रकरण मा. तज्ञ वृक्ष प्राधिकरण समिति यांच्या शिफारस साठी सादर.)	'अ'प्रमाणे खात्याची शिफारस मान्य. देशी वृक्षांची १० ते १२ फुट उंचीचे वृक्ष त्याच जागेत लावावेत.	०३	--	--	१११	३०,०००/-
५)	३२६७ ३/६/२५	रानडे बगाडे कन्सल्टेशन LLP तर्फे कैदार शशांक रानडे, सि.टी.एस.नं. १११२ स.नं. २०+२१+२२ फा. प्लॉट नं. ४६ एरंडवणे, पुणे	१)नारळ(वृ. क्र.२)	०.५५	१०	१६	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता वृक्ष क्र. २ हा वृक्ष तिरपा झाल्याने व अर्जदार यांच्या इमारतीच्या स्लॅब ला अडथळा ठरत असल्याने नियमाप्रमाणे अनामत रक्कम स्वीकारून सदर वृक्षांच्या वयानुसार नवीन १६ वृक्ष लावणे	'अ'प्रमाणे खात्याची शिफारस मान्य.बाधित वृक्षांच्या बदल्यात देशी वृक्षांची १० ते १२ फुट उंचीची रोपे लावावीत.	०१	--	--	१६	१०,०००/-

६)	२५२० २२/५/२५	मे. आर्चवे इस्टेट्स डी. बि. LLP तर्फे श्री. प्रसन्न पटवर्धन, सि.टी.स.नं. १५५ अ स. नं. ३६/४, श्री दत्तात्रय सहकारी गृह. संस्था मर्या. एरंडवणे, पुणे	१) जांभूळ (वृ. क्र. २) २) सि. ओक (वृ. क्र. ५) ३) अशोक (वृ. क्र. १०) ४) अशोक (वृ. क्र. ११) ५) अशोक (वृ. क्र. १३) ६) अशोक (वृ. क्र. १८) ७) अशोक (वृ. क्र. १९) ८) अशोक (वृ. क्र. २०)	०.५० १.५० ०.४० ०.७० ०.४० ०.७० ०.७० ०.७०	१० १२ ७ ११ ७ १० १० १०	१५ ३२ १२ १५ १२ १५ १६ १५	च्या अटीवर वृक्ष क्र. २ पूर्ण काढणेस परवानगी देणेस शिफारस आहे. (सदर प्रकरण मा. तज्ञ वृक्ष प्राधिकरण समिति यांच्या शिफारस साठी सादर.)	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता वृक्ष क्र. २, ५, १०, ११, १३, १ ८, १९, २० चे वृक्ष ड्राईव वे मध्ये अडथळा ठरत असल्याने नियमाप्रमाणे अनामत रक्कम स्वीकारून सदर वृक्षांच्या वयानुसार नवीन १३२ वृक्ष लावणे च्या अटीवर वृक्ष क्र. २, ५, १०, ११, १३, १८, १९, २० चे वृक्ष पुनरोपण करणेस परवानगी देणेस शिफारस आहे. (सदर प्रकरण मा. तज्ञ वृक्ष प्राधिकरण समिति यांच्या शिफारस साठी सादर.)	-- ०८ -- १३२ ०८ १३२	८०,०००/-
७)	३५६८ १/६/२५	श्री. विशाल वसंत गोखले, फा. प्लॉट नं. ६१/१३, सि. स. नं. १०४/१५, एरंडवणे, पुणे	१) फायकस (वृ. क्र. ३) २) आंबा (वृ. क्र. ४) ३) अशोक (वृ. क्र. ५)	१.५० ०.९० १.२०	१२ १० ११	३८ १८ २३	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता वृक्ष क्र. ३ चे वृक्ष बांधकामात अडथळा ठरत नसून त्यास दिलीगिरी कळवणे	०२ -- ४१	२०,०००/-	

८)	३२६० ३/६/२५	त्रिशा हौसिंग LLP प्लॉट नं. ६१/१ सि. टी. स. नं. १०४/१ प्रबोधन को. ऑप हौसिंग सोसायटी, एरंडवणे, पुणे	१) स्पॅथोडिया (वृ.क्र. १९) २) फणस (वृ.क्र. २३) ३) कडूलिंब (वृ.क्र. २४))	१.९० १.६० १.५०	१२ १२ १०	४२ ३४ ३२	तसेच वृक्ष क्र. ४ व ५ चे वृक्ष बांधकाम खोदाई मध्ये तसेच ड्राईव वे मध्ये अडथळा उरत असल्याने नियमाप्रमाणे अनामत रक्कम स्वीकारून सदर वृक्षांच्या वयानुसार नवीन ४१ वृक्ष लावणे च्या अटीवर वृक्ष क्र. ४ व ५ चे वृक्ष पूर्ण काढणेस परवानगी देणेस शिफारस आहे. (सदर प्रकरण मा. तज्ञ वृक्ष प्राधिकरण समिति यांच्या शिफारस साठी सादर.)	'अ'प्रमाणे खात्याची शिफारस मान्य. देशी वृक्षांची १० ते १२ फुट उंचीची एकूण ६६ वृक्ष लावावीत.	--	०२	०१	६६	२०,०००/-
----	----------------	--	--	----------------------	----------------	----------------	--	--	----	----	----	----	----------

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

		नं.५, नटराज हौसिंग सोसायटी, कर्वेनगर, पुणे					२ चे वृक्ष धोकादायक रित्या तिरपे वाढलेले आहे व शेजारील घराकडे झुकलेले आहे. नियमाप्रमाणे अनामत रक्कम स्वीकारून सदर वृक्षांच्या वयानुसार नवीन ६० वृक्ष लावणेच्या अटीवर अ. क्र. १ व २ चे वृक्ष पूर्ण काढणेस परवानगी देणेस शिफारस आहे. (सदर प्रकरण मा. तज्ञ वृक्ष प्राधिकरण समिति यांच्या शिफारस साठी सादर.)	वृक्षांच्या बदल्यात एकूण ६० वृक्ष लावावीत. देशी वृक्षांची ८ ते १० फुट उंचीची वृक्ष लावावीत.					१०,०००/-
११)	३१२५ ३०/५/२५	सौ. जयश्री सोनावणे, "श्रीकमल" ऑकार कॉलनी, स. नं. २, भालचंद्र देव चौक, कमिन्स कॉलेज रोड, कर्वेनगर, पुणे	१) नारळ	१.१०	१५	४०	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता अ.क्र.१ चे वृक्ष तिरपे झुकलेले असून घरच्या भिंतीला घासत आहे. नियमानुसार अनामत रक्कम स्वीकारून सदर वृक्षांच्या वयानुसार नवीन ४० वृक्ष लावणे च्या अटीवर अ.क्र.१ चे वृक्ष पूर्ण काढणेस परवानगी देणेस शिफारस आहे. (सदर प्रकरण मा. तज्ञ वृक्ष प्राधिकरण समिति यांच्या शिफारस साठी सादर.)	'अ'प्रमाणे खात्याची शिफारस मान्य. बाधित वृक्षांच्या बदल्यात एकूण ४० वृक्ष देशी प्रजातीची १० ते १२ फुट उंचीची लावावीत.	--	--	०१	४०	१०,०००/-

१२)	२३२३ २०/५/२५	अवंते स्पेसेस लिमिटेड तर्फे प्रतिनिधी, न.भू.क्र.६७७,६७८, ६७९ व ६८० कोथरूड येथील नाल्या लगतच्या नियोजित संरक्षक सीमाभित	१)स्पॅथोर्डीया(वृ.क्र. १) २)वि.चिच(वृ.क्र.२) ३)वाळवा(वृ.क्र.३) ४)सुबामूळ(वृ.क्र.४) ५)पंधरा शिरीष(वृ.क्र.५) ६)हेला(वृ.क्र.६) ७)बोर(वृ.क्र.७) ८)सुबामूळ(वृ.क्र.८) ९)निलगिरी(वृ.क्र.९) १०)आंबा(वृ.क्र.१०) ११)वाळवा(वृ.क्र.११) १२)स्पॅथोर्डीया(वृ.क्र. १२) १३)गुलमोहोर(वृ.क्र. १३) १४)चंदन(वृ.क्र.१४) १५)गुलमोहोर(वृ.क्र. १५) १६)गुलमोहोर(वृ.क्र. १६) १७)उंबर(वृ.क्र.१७)	०.७० ०.६० १.४० ०.८० ०.७० ०.४० ०.३५ ०.४० १.६० २.९० १.७० ०.५० ०.६० ०.६० १.९० ०.६० २.३०	७ ६ १४ १२ ९ ५ ६ ५ २० १८ २३ ६ ५ ६ १७ ६ १९	१६ १२ ३२ १७ १६ २२ ११ १२ ३३ ४५ ३८ १५ १६ १६ ३८ १६ ४२	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता वृक्ष क्र.१ ते १७ चे वृक्ष अंडरपास नाला तसेच नाल्या लगतच्या नियोजित संरक्षक सीमाभित्तीच्या कामात अडथळा ठरत असल्याने नियमाप्रमाणे अनामत रकम स्वीकारून सदर वृक्षांच्या वयानुसार नवीन ३८७ वृक्ष लावणे च्या अटीवर वृक्ष क्र.४,८,१० चे एकूण ०३ वृक्ष पूर्ण काढणे व वृक्ष क्र.१,२,३,५,६,७,९,११ १२,१३,१४,१५,१६, १७ चे एकूण १४ वृक्ष पुनरोपण करणेस परवानगी देणेस शिफारस आहे. (सदर प्रकरण मा. तज्ञ वृक्ष प्राधिकरण समिति यांच्या शिफारस साठी सादर.)	'अ'प्रमाणे खात्याची शिफारस मान्य.पुनरोपण योग्य पद्धतीने करावे.देशी वृक्षांची १० ते १२ फुट उंचीची ३८७ वृक्ष लावावीत.	०३ १४ -- ३८७	१,७०,०००/- -
१३)	१८३५ ८/५/२५	अवंते स्पेसेस लिमिटेड तर्फे प्रतिनिधी, न.भू.क्र.७०२ कोथरूड येथील कॅनल रस्त्यावरील नियोजित अंडरपास	१)वाळवा(वृ.क्र.१) २)पेपर मलबेरी(वृ.क्र.२) ३)पेपर मलबेरी(वृ.क्र.३) ४)कंदंब(वृ.क्र.४) ५)पेपर	२.९० १.७० १.४० १.२० ०.३०	१२ १० १० १० ५	४५ ३२ २९ २२ ७	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता वृक्ष क्र.१ ते १७ चे वृक्ष नियोजित अंडरपास(बोगदा)च्या कामात अडथळा ठरत असल्याने नियमाप्रमाणे	'अ'प्रमाणे खात्याची शिफारस मान्य.पुनरोपण योग्य पद्धतीने करावे.देशी वृक्षांची १० ते १२ फुट उंचीची ३८१	-- १७ -- ३८१	१,७०,०००/- -

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

१५)	३०२१ २१/५/२५	श्री.ललित बेंद्रे कार्यकारी अभियंता पथ विभाग, शाहू कॉलनी भागातील गल्ली क्र.८ व ११ कर्वेनगर,पुणे	१)उंबर(वृ.क्र.१) २)उंबर+पिंपळ(वृ.क्र. .२)	०.५० ३.१०	७ १०	१५ ५२	०३ वृक्ष पुनरोपण करणेस परवानगी देणेस शिफारस आहे.(सदर प्रकरण मा. तज्ञ वृक्ष प्राधिकरण समिति यांच्या शिफारस साठी सादर.)	'अ'प्रमाणे खात्याची शिफारस मान्य.पुनरोपण योग्य पद्धतीने करावे.	--	०२	--	६७	--	
१६)	२०१७ २२/५/२४	श्री.गुलाब करीम मुलानी स.नं.४१/१ घर नं.१९६४ गणेशपुरी सोसायटी,पुणे	१)नारळ (वृ.क्र.१)	०.९०	१२	३०	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता वृक्ष क्र.१ चे वृक्ष घराकडे तिरपे झुकलेले असून शेजारील इमारतीस धडकत असल्याने नियमाप्रमाणे अनामत रक्कम	'अ'प्रमाणे खात्याची शिफारस मान्य.बाधित वृक्षांच्या बदल्यात प्रथम देशी वृक्षांची ८ ते १० फुट उंचीची रोपे त्याच परिसरात लावून	०१	--	--	३०	--	१०,०००/-

१७)	६३१० २४/७/२५	श्री. परशुराम यादव गणेशपुरी लेन नं. ८, वारजे - माळवाडी, पुणे	१) नारळ (वृ. क्र. १)	१.२०	१२	४०	स्वीकारून सदर वृक्षाच्या वयानुसार नवीन ३० वृक्ष लावणेच्या अटीवर वृक्ष क्र. १ चे वृक्ष पूर्ण काढणेस शिफारस आहे. (सदर प्रकरण मा. तज्ञ वृक्ष प्राधिकरण समिति यांच्या शिफारस साठी सादर.)	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता वृक्ष क्र. १ चे वृक्ष धोकादायक रित्या तिरपे रस्त्याकडे झुकलेले असल्याने नियमाप्रमाणे अनामत रक्कम स्वीकारून सदर वृक्षाच्या वयानुसार नवीन ४० वृक्ष लावणेच्या अटीवर वृक्ष क्र. १ चे वृक्ष पूर्ण काढणेस शिफारस आहे. (सदर प्रकरण मा. तज्ञ वृक्ष प्राधिकरण समिति यांच्या शिफारस साठी सादर.)	दिलगिरी कळवावी. वृक्षांच्या शास्त्रीय पद्धतीने झावळ्या छाटून घ्याव्यात.	--	--	०१	--	--
१८)	२१९८ १६/५/२५	श्री. प्रकाश स. वाणी व श्री. सुनील स. वाणी स. नं. १/३+२०, गजानन महाराज मंदिर जवळ, श्रीमान सोसायटी,	१) नारळ (वृ. क्र. १)	१.१०	१०	३२	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता वृक्ष क्र. १ चे वृक्ष धोकादायक रित्या उंच वाढल्याने व घराकडे तिरपे झुकल्याने नियमाप्रमाणे अनामत	दिलगिरी कळवावी. सदर वृक्षाच्या वेळोवेळी झावळ्या छाटून घ्याव्यात.	--	--	०१	--	--	

		कर्वेनगर,पुणे																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

२१)	४८९० १/७/२५	श्री. अरविंद अच्युत महाजन २४/४ पाटील चेंबर्स अपार्टमेंट, कर्वे रोड, पुणे	१) बॉटल पाम (वृ. क्र. १)	१.३०	७	२२	रक्कम स्वीकारून सदर वृक्षाच्या वयानुसार नवीन ३० वृक्ष लावणेच्या अटीवर वृक्ष क्र. १ चे वृक्ष पूर्ण काढणेस शिफारस आहे. (सदर प्रकरण मा. तज्ञ वृक्ष प्राधिकरण समिति यांच्या शिफारस साठी सादर.)	०१	--	--	२२	१०,०००/-
२२)	४७२० २७/६/२५	श्री. तुषार माणकीकर ७, स्वप्नमंदिर सोसायटी, एरंडवणे, पुणे	१) फॅन पाम (वृ. क्र. १)	१.३०	१०	२५	अ) प्रमाणे खात्याची शिफारस मान्य. प्रथम देशी वृक्षांची १० ते १२ फुट उंचीची रोपे त्याच परिसरात लावावीत आणि	०१	--	--	२५	१०,०००/-

२३)	३३७८ ४/६/२५	श्री. सुधीर हिरालाल मोरे स.नं. १३७, वारजे - माळवाडी, स्वामी समर्थ मंदिर शेजारी, पुणे	१) आंबा (वृ.क्र. १) २) जांबूळ (वृ.क्र. २)	०.७० १.१०	४ ५	२२ ४०	रकम स्वीकारून सदर वृक्षाच्या वयानुसार नवीन २५ वृक्ष लावणेच्या अटीवर वृक्ष क्र. १ चे वृक्ष पूर्ण काढणेस शिफारस आहे. (सदर प्रकरण मा. तज्ञ वृक्ष प्राधिकरण समिति यांच्या शिफारस साठी सादर.)	नंतरच सदर वृक्ष पूर्ण काढणेस शिफारस.	--	०२	--	६२	२०,०००/-
२४)	५३२९ ८/७/२५	सचिव - सुयोग ऑरा हौसिंग सोसायटी स.नं. ११२/८/३, ११२/८/४,	१) सप्तपर्णी (वृ.क्र. १)	०.९०	१०	२५	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता वृक्ष क्र. १ व वृक्ष क्र. २ चे वृक्षांच्या मुळ्या सुटलेल्या आहेत व शेडकडे झुकलेले असल्याने नियमाप्रमाणे अनामत रकम स्वीकारून सदर वृक्षाच्या वयानुसार नवीन ६२ वृक्ष लावणेच्या अटीवर वृक्ष क्र. १ व वृक्ष क्र. २ चे वृक्ष पुनरोपण करणेस शिफारस आहे. (सदर प्रकरण मा. तज्ञ वृक्ष प्राधिकरण समिति यांच्या शिफारस साठी सादर.)	'अ' प्रमाणे खात्याची शिफारस मान्य. 'अ' प्रमाणे देशी वृक्षांची १० ते १२ फुट उंचीची ६२ वृक्ष त्याच परिसरात लावून घ्यावीत व नंतरच देशी वृक्ष पुनरोपण करण्याची शिफारस. पुनरोपण योग्य पद्धतीने करून वृक्ष लावावीत.	--	--	०१	--	--

[illegible]

२६)	६२३४ २३/७/२५	श्री.शैलेश शिवाजी साखरे औदुंबर कॉलनी - अ.प्लॉट नं.१७, काकडे सिटी जवळ, कर्वेनगर, पुणे	१)नारळ (वृ.क्र.१)	१.४०	१२	४०	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता वृक्ष क्र.१ चे वृक्ष रस्त्याकडे तिरपे झुकलेले असून सदर वृक्षाच्या मुळ्या घराच्या पायाला अडथळा करत असल्याने नियमाप्रमाणे अनामत रक्कम स्वीकारून सदर वृक्षाच्या वयानुसार नवीन ४० वृक्ष लावणेच्या अटीवर वृक्ष क्र. १ चे वृक्ष पूर्ण काढणेस शिफारस आहे. (सदर प्रकरण मा. तज्ञ सादर.)	दिलगिरी कळवावी.सदर वृक्षाच्या झावळ्या छाटून घ्याव्यात.	--	--	०१	--	--
२७)	५२६७ ७/७/२५	श्री.हेमराज मुंदडा २७ राजकला, कर्वेनगर को.ऑप.हौसिंग सोसायटी,अलंकार पोलीस स्टेशन जवळ,पुणे	१)नारळ (वृ.क्र.१)	१.१०	१२	३०	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता वृक्ष क्र.१ चे वृक्ष घराकडेतिरपे झुकलेले असून सोलर खराब झालेला असल्याने नियमाप्रमाणे अनामत रक्कम स्वीकारून सदर वृक्षाच्या वयानुसार नवीन ३० वृक्ष लावणेच्या अटीवर वृक्ष क्र. १ चे वृक्ष पूर्ण काढणेस शिफारस आहे. (सदर प्रकरण मा. तज्ञ	दिलगिरी कळवावी. झावळ्या छाटून घेणे.	--	--	०१	--	--

२८)	४८३१ ३०/६/२५	श्री.अशोक दामोदर नाकते स.नं. २० भारत कॉलनी, कैनाल रोड, कर्वेनगर, पुणे	१)नारळ (वृ.क्र.१)	१.६०	१५	५०	वृक्ष प्राधिकरण समिति यांच्या शिफारस साठी सादर.)	अ' प्रमाणे खात्याची शिफारस मान्य.प्रथमनियमा प्रमाणे देशी वृक्षांची ८ ते १० फुट उंचीची ५० वृक्ष लावून घ्यावीत व नंतरच नारळ वृक्ष पूर्ण काढावा.	०१	--	--	५०	१०,०००/-
२९)	७२२१ ६/८/२५	सु.हुद कन्स्ट्रक्शन LLP तर्फे श्री.कपिल दिलीप लघाटे स.नं. ३६/२ब,सि.टी. एस.नं. १५४, पांडुरंग कॉलनी, शिवतीर्थ को. ऑप. हौसिंग सोसायटी, पुणे	१)रेन ट्री(वृ.क्र.२) २) सुबाभूळ(वृ.क्र.३) ३)बकुळ(वृ.क्र.७) ४)चाफा(वृ.क्र.८)	१.५० १.५० ०.५० ०.४०	११ ११ ७ ५	३२ ३० १२ १०	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता वृक्ष क्र. २, ३, ७, ८ चे वृक्ष अर्जदार यांच्या गेटला तसेच ड्राईव्ह वे ला अडथळा ठरत असल्याने नियमाप्रमाणे अनामत रक्कम स्वीकारून सदर वृक्षाच्या वयानुसार नवीन ८४ वृक्ष लावणेच्या अटीवर वृक्ष क्र. २, ३, ७, ८ चे वृक्ष	अ'प्रमाणे खात्याची शिफारस मान्य.सदर प्रकरणी त्याच परिसरात देशी वृक्षांची एकूण ८४ वृक्ष ८ ते १० फुट उंचीची लागवड करून घ्यावीत व नंतरच सदर शिफारस आमलात आणावी.	--	०४	८४	४०,०००/-	

३०)	१०२५ २५/४/२५	श्री. अवधूत शाळीग्राम प्लॉट क्र. ८, विदिशा कॉलनी, स. नं. ५ अ/१ ब/३/२, कर्वेनगर, पुणे	१) नारळ (वृ. क्र. १)	१.२०	१०	२२	पुनर्रोपण करणेस शिफारस आहे. (सदर प्रकरण मा. तज्ञ वृक्ष प्राधिकरण समिति यांच्या शिफारस साठी सादर.)	'अ'प्रमाणे खात्याची शिफारस मान्य. बाधित वृक्षाच्या बदल्यात देशी वृक्षांची ८ ते १० फुट उंचीची एकूण २२ वृक्ष त्याच परिसरात लावावीत व नंतरच वृक्ष पूर्ण काढणेस शिफारस.	०१	--	--	२२	१०,०००/-
-----	-----------------	--	----------------------	------	----	----	--	---	----	----	----	----	----------


 (अनिल साबळे)
 हॉर्टी. मिस्त्री
 वारजे कर्वेनगर क्षेत्र कार्यालय
 पुणे महानगरपालिका


 (रत्नाकर करडे)
 सहा. उद्यान अधिक्षक
 परिमंडळ क्र. ३
 पुणे महानगरपालिका


 (दिपक राजुत)
 महापालिका सहा. आयुक्त तथा
 वृक्ष अधिकारी
 वारजे कर्वेनगर क्षेत्र कार्यालय
 पुणे महानगरपालिका